संख्या– 2479 /38–7–2008– एनआरईजीए/08

प्रेषक,

रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

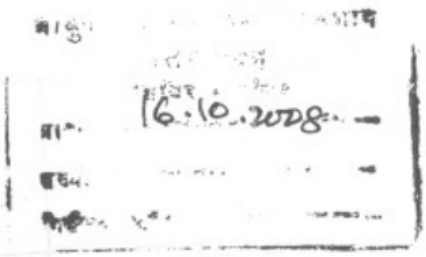

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांकः 14 अक्टूबर, 2008

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय के संबंध में निर्देश।

महोदय,

प्रदेश मे वर्ष 2008–09 में उपरोक्त योजना के अन्तर्गत चयनित प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के 39 जिलों के लिए कुल 3829 करोड़ का लेबर बजट स्वीकृत हुआ है। तृतीय चरण के 31 जिलों में 856 करोड़ का लेबर बजट स्वीकृत किया गया है(मान्यवर काशीराम नगर जनपद का बजट एटा के साथ है)। इस प्रकार पूरे प्रदेश के लिए लगभग 4700 करोड़ रूपये का लेबर बजट स्वीकृत है। वर्ष 2008–09 में इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 34 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य है। स्वीकृत लेबर बजट के 4700 करोड़ धनराशि का 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के रूप में अनुमन्य है, जो लगभग 188 करोड़ रूपये बनता है। इस प्रकार एक रोजगार दिवस के सृजन पर 5.52 रूपये की कंटीजेंसी/प्रशासनिक व्यय की अनुमन्यता बनती है।

योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर अलग–अलग कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य सम्पादित किया जाता है। ग्राम पंचायतें सबसे महत्वपूर्ण कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य कर रही हैं। चूंकि कार्य एवं जिम्मेदारियों का विभाजन अलग–अलग स्तरों पर है, अतः उसी अनुपात में प्रशासनिक व्यय की धनराशि का भी बंटवारा किया जाना चाहिए। प्रशासनिक व्यय का विभाजन निम्नानुसार किया जायेगाः–

रूपये 5.52 प्रति रोजगार दिवस प्रशासनिक व्यय का बँटवाराः

कार्यदायी संस्था	रू0 की अनुमन्यता(प्रतिशत)	कार्य एवं जिम्मेदारियाँ
ग्राम पंचायत स्तर	2.5 रूपया प्रति मानव दिवस	1. रोजगार सेवकों का भुगतान 2. एम0आई0एस0 का संचालन स्वयं अथवा आउट सोर्सिंग के माध्यम से विकास खण्ड द्वारा संचालन की दशा में यह धनराशि विकास खण्ड को उपलब्ध करायी जायेगी। 3. कार्य स्थल पर अनुमन्य सुविधाएं छाया, केश, पेयजल, दवा आदि की व्यवस्था।
विकास खण्ड स्तर	1.5 रूपया प्रति मानव दिवस	1. MIS का संचालन विकास खण्ड पर 2. ग्राम पंचायतों को लॉजिस्टिक सपोर्ट

		3. विकास खण्ड पर MIS का संचालन सत्यापन एवं अनुश्रवण तथा नरेगा कर्मियों का भुगतान। 4. तकनीकी सहायकों का भुगतान।
जिला स्तर	1.02 रूपया प्रति मानव दिवस	1. पंचायत एवं विकास खण्ड स्तर पर भुगतान की राशि की कमी होने की दशा में रिसोर्स मोबलाइजेशन 2. ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण, MIS सपोर्ट ग्राम पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायतों को। 3. नरेगा स्टाफ का भुगतान। 4. नरेगा अनुश्रवण का काम।

चूँकि प्रशासनिक व्यय अथवा कंटीजेंसी की धनराशि पृथक से प्राप्त नहीं होती है अतः जो भी धनराशि विकास खण्ड, ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगी उसमें से उनके द्वारा सृजित किए जाने वाले मानव दिवस के सापेक्ष उपरोक्तानुसार निर्धारित धनराशि उनके द्वारा कंटीजेंसी/प्रशासनिक व्यय के रूप में प्रयोग की जा सकेगी।

(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव

संख्या– 2479 (1)/38–7–2008 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(3) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।